

-: आदेश :-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 14.06.2010 से 26.06.2010 तक Induction/Foundation Course हेतु डॉ. पदमा पंवार, चि0अ0, सामु0स्वा0केन्द्र नीम्बीजोधा (नागौर) को मनोनीत किया जाता हैं।

उक्त चिकित्सक को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 13.06.2010 को सांय निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6) ट्रेनिंग(पी.एल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसरण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई हैं, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उपरोक्त मनोनीत चिकित्सकों में से यदि किसी ने पूर्व में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हैं तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करें।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 16/6/10

क्रमांक :- राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ 364

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आरएचएसडीपी, मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F7(6)/SIHFW/Ind.Trg./2010-11/410 दिनांक 24.05.2010 के क्रम में भेजकर लेख हैं कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 16.08.09 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक, द्वारा :- उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख हैं कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय से संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली।



अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।